महत्वपूर्ण एवं खास

कनकबीरा के छिचपानी जंगल में आबकारी विभाग का छापा : महुआ मदिरा जब्त

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देश और आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील के बाद आबकारी विभाग द्वारा प्रतिदिन लगातार अवैध मदिरा भंडारण और बिक्री पर कार्यवाही किया जा रहा है। आबकारी उप निरीक्षक जितेश नायक और विकास साण्डे के नेतृत्व में बाजार मूल्य 1 लाख 10 हजार 250 रुपए का मदिरा और लहान जप्त हुआ है। आबकारी टीम को सारंगढ़ विकासखंड के कनकबीरा जंगल क्षेत्र के ग्राम छिचपानी में छापा के दौरान 15-15 लीटर क्षमता वाले 4 प्लास्टिक जरिकेन में कुल 60 लीटर महुआ मदिरा, चार प्लास्टिक पालीथीन में भरा कुल 160 लीटर महुआ मदिरा, एक प्लास्टिक पालीथीन में भरा 100 लीटर महुआ मदिरा, 37 प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ 25-25 kg 925 किलोग्राम महुआ लाहन का बाजार मूल्य 46 हजार 250, इस प्रकार कुल 320 लीटर मदिरा जप्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य 64 हजार है। छापामार टीम में आबकारी मुख्य आरक्षक राधे गोविन्द पाण्डे, लाल सिंह कँवर और राजकुमार कश्यप शामिल थे।

घर से नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर पार

रायपुर (आरएनएस)। सदर रोड गोबरानवापारा में घर के अंदर से नकदी 1 लाख सहित सोने-चांदी के जेवर अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर गोबरानवापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी आकाश जैन 38 वर्ष सदर रोड गोबरानवापारा का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी 28-29 अक्टूबर के दरम्यानी रात अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी अज्ञात चोर ने घर में प्रवेश कर आलमारी में रखे नकदी 1 लाख सहित सोने-चांदी के जेवर पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 3 लाख 50 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर गोबरानवापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अधिक पैसा कमाने का लालच देकर 5 करोड़ की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। एआईटीएमसी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड खोलकर चार गुना पैसा कमाने का लालच देकर अधेड़ से 5 करोड़ की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने आरोपीके खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी बसंत दौलतानी 51 वर्ष रविग्राम अवंतिविहार तेलीबांधा का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी दीप सिहाग कौशल विकास योजना से संबंधित कार्यो का क्रियान्वयन करती है। आरोपी ने प्रार्थी से कहा कि वह एआईटीएमसी वेंचर प्रावेट लिमिटेड खोलन चाहता है, जिसमें पैसा निवेश करने पर चार गुना कमाई होगी। जिससे प्रार्थी ने उसके झांसे में आकर 5 करोड़ रुपए दे दिया। जब आरोपी ने ना तो कोई सेंटर खोला तो प्रार्थी ने अपना पैसा वापस मांगा। जिससे पैसा वापस नहीं करने पर प्रार्थी ने इसकी शिकायत विधानसभा थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, पति की हुई मौत

रायपुर (आरएनएस)। सिलतरा बायपास रोड में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दिया। जिससे पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी घायल है। मामले में धरसींवा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मठपारा उरकुरा निवासी लीला यादव 50 वर्ष अपने पति ईश्वरी प्रसाद यादव के साथ स्कूटी क्रमांक सीजी 04 एचके 3686 से कहीं जा रही थी। तभी सिलतरा बायपास रोड में ट्रक क्रमांक सीजी 14 एमई 7100 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दिया। इस हादसे में अधेड़ की मौत हो गई।

मदिरा दुकानों में प्रति व्यक्ति मदिरा विक्रय हेतु सीमा निर्धारित

- जिले की सभी मदिरा दुकानों के बाहर चस्पा की गई है जानकारी, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
- आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 और निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप पर सकते है उल्लंघन की शिकायत

रायगढ़। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में मदिरा के अवैध भण्डारण को रोकने के लिए कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आबकारी अमले को निर्देशित किया हुआ है। इसी क्रम में सहायक कलेक्टर युवराज मरमट तथा सहायक आयुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की सभी मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ राज्य में मदिरा दुकानों से प्रति व्यक्ति निर्धारित विक्रय सीमा की जानकारी चस्पा की गई है। जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति विक्रय सीमा देशी मदिरा हेतु 3 लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट हेतु 3 लीटर एवं माल्ट (बीयर)हेतु 6 बोतल निर्धारित की गई है। जिले की सभी मदिरा दुकानों में यह सूचना प्रदर्शित की गई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आधिपत्य सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की ड्यूटी पेड मदिरा के लिए 5 लीटर एवं अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले सदभावी यात्री के लिए उस राज्य की ड्यूटी पेड मदिरा की 1 बोतल तय की गई है।

उक्त सीमा का उल्लंघन करने अवैध मदिरा भंडारण, विक्रय और परिवहन के प्रकरणों व शिकायत पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना व शिकायत आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर अथवा सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से की जा सकती है। यह एप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे काम करता है सी-विजिल एप

इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। इसके लिए अब उसे निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में आने की जरूरत नहीं होगी। जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें होने पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी। सी-विजिल मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते हुए उडऩदस्ता (एफ.एस.टी.) तुरंत मौके पर पहुँच कर जरूरी कार्रवाई करेगा। इस एप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटने या आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप पर कर सकते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। शिकायतकर्ता को यह भी लिखने की जरूरत नहीं होगी कि वह कहां है। यानी इस ऐप के जरिए मतदाता भी चुनाव में निगरानी कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां गड़बड़ी हो रही हो उस स्थान की लोकेशन भी भेज सकते हैं और लिखकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।

ऐसे डाऊन लोड कर सकते है सी-विजिल एप- यह एप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन और ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है जहां आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोन नंबर लिखना होगा, जिस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको अपने नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी। ये जानकारियां देने के बाद आपको वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप का होम पेज खुल जाएगा, जहां आपको फोटो, वीडियो और ऑडियो के विकल्प मिलेंगे। आप जिस भी माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, वह विकल्प चुन कर आप आयोग को गड़बड़ी की जानकारी पहुंचा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 : निगरानी दलों द्वारा अब तक कुल 39 करोड़ 53 लाख रुपए की नगदी और वस्तुएं जब्त

- एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शराब की जब्ती

रायपुर । राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 30 अक्टूबर तक की स्थिति में 39 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें दस करोड़ 43 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 30 अक्टूबर तक 33 हजार 534 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 14 करोड़ 82 लाख 76 हजार रुपए कीमत के 184 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 10 करोड़ 15 लाख रुपए है, भी जब्त की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।

चार विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन सामान्य प्रेक्षक नियुक्त

- सामान्य प्रेक्षकों से सर्किट हाऊस में प्रात: 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक की जा सकती है मुलाकात

रायगढ़। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए है। सभी सामान्य प्रेक्षकगण का जिले में 29 अक्टूबर को आगमन हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ के लिए आईएएस रूपांजलि कार्तिक को जनरल आब्जर्वर बनाया गया है। इनका मोबा.नंबर 75870-16552 है। उनसे सर्किट हाऊस, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 2 में प्रात: 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुलाकात की जा सकती है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा एवं 19 धरमजयगढ़ के लिए आईएएस सी.एन.लोंगफाई को जनरल आब्जर्वर बनाया गया है। इनका मोबा.नंबर 75870-16551 है। उनसे सर्किट हाऊस, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 1 में प्रात: 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुलाकात की जा सकती है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया के लिए आईएएस ससीम कुमार बरई को जनरल आब्जर्वर बनाया गया है। इनका मोबा.नंबर 75870-16553 है। उनसे सर्किट हाऊस, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 5 में प्रात: 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुलाकात की जा सकती है।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने अधिकारी-कर्मचारियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ

रायगढ़। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्टोरेट के अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उपस्थित सभी ने सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हुए कहा कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। इस मौके पर अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, सहायक कलेक्टर

युवराज मरमट, एसडीएम धरमजयगढ़ डिगेश पटेल, एसडीएम खरसिया रोहित सिंह, डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, एसडीएम लैलूंगा अक्षा गुप्ता, अल्प बचत अधिकारी जे.एल.जांगड़े, स्टेनो टू कलेक्टर सूरज खर्रा, अधीक्षक सतीश सिन्हा सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कस्टमर केयर इंजीनियर बनकर ठग ने व्हाट्सएप पर भेजा पैमेंट लिंक और खाते से कट गए 7 लाख रुपए

- गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करने वाले बरतें विशेष सावधानी

रायगढ़। गूगल पर कस्टमर केयर के फर्जी टोल फ्री नंबर अपलोड कर उनके माध्यम से ठगी के मामले पूर्व में सामने आए है। कोतवाली रायगढ़ थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ठग ने एमआई टीवी मरम्मत के नाम पर कस्टमर केयर का इंजीनियर बनकर स्थानीय रहवासी से 7 लाख रूपये की ठगी कर लिया।

पीड़ित दिनांक 30.10.2023 को थाना कोतवाली में आवेदन देकर ऑनलाइन ठगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि दिनांक 13/10/2023 को उसने MI टीवी के मरम्मत के लिये गूगल से कस्टमर केयर नंबर ढूंढा और कॉल किया, थोड़ी देर बाद एक अंजान नंबर से पीड़ित के व्हाट्सएप पर पैमेंट का एक लिंक भेजा गया जिसमें रजिस्ट्रेशन/सर्विस 400 रूपये बताया गया। पीड़ित अपने UPI के माध्यम से लिंक में रूपये भेजने का प्रयास किया किन्तु रकम नहीं जमा होने का पता चला। उसके बाद फिर एक नये मोबाईल नंबर से फोन आया जिसने बोला कि मैं कस्टमर केयर का इंजीनियर बोल रहा हूं यदि आपका लिंक में पेमैंट नहीं हो रहा है तो हम आपके घर आकर टी वी मरम्मत करने के बाद चार्ज घर पर नगद ले लेंगे। दिनांक 20/10/2023 के सुबह बिना जानकारी के खाता से पैसे कटने का आभास होने पर तुरंत बैंक जाकर बैंक खाता तथा यूपीआई नंबर व एटीएम कार्ड को बंद करवाया। बैंक से जानकारी मिला कि दिनांक 14/10/2023 से 20/10/2023 तक लगभग 7,00000 सात लाख रूपये खाते से यूपीआई के माध्यम से वाले मोबाईल नंबर के धारक द्वारा रूपये निकाला गया है। आवेदन पर कस्टमर केयर मोबाइल धारक अज्ञात व्यक्ति पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

जिला पुलिस के 3 पुलिसकर्मी हुए सेवानिवृत

- पुलिस कार्यालय में दी गई ससम्मान विदाई

रायगढ़। दिनांक 31/10/2023 को जिला पुलिस रायगढ़ से तीन पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक कंस राम आर्य, सहायक उप निरीक्षक एतवाराम और सहायक उपनिरीक्षक रंजीत तिर्की अपनी अधिवर्षिकीय 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर पुलिस विभाग से सेवानिवृत हुए जिन्हें पुलिस कार्यालय रायगढ़ में सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा द्वारा सेवानिवृतों को पुष्पगुच्छ देकर शाल, श्रीफल से सम्मान कर मोमेंटो भेंट किया गया। अधिकारियों ने सेवानिवृत्तों के द्वारा पुलिस विभाग को दी गई लंबी सेवा पर विभाग की ओर से कृतज्ञता प्रकट कर उनके अच्छे स्वास्थ की शुभकानाएं किया गया। विदाई कार्यक्रम में रक्षित निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि सेवानिवृत हो रहे सभी अधिकारी की सेवा अवधि करीब 40 साल है। ए.एस.पी संजय महादेवा ने बताया कि सेवानिवृति एक स्वभाविक प्रक्रिया है जो सरकारी सेवा में है उन्हें सेवानिवृत होना है। उन्होंने सेवानिवृत पुलिसकर्मियों को आगे किसी भी प्रकार की सहायता पर निसंकोच संपर्क करने कहा गया। एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा वेतन लिपिक से सेवानिवृत पुलिसकर्मियों के पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देय स्वत्वों की जानकारी लिये और पेंशनर्स के किसी भी देय लंबित नहीं रखने के निर्देश दिये। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिसकर्मियों ने भी सेवानिवृत्तियों को फुल माला पहन कर बधाई एवं दीर्घायु की शुभकामनाएं दी गई।

पटेलपाली पावर ग्रिड में आयोजित साइबर एवरनेस प्रोग्राम में साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को जागरूक कर रही साइबर सेल की टीम

रायगढ़। साइबर क्राइम को रोकने का सबसे सशक्त हथियार लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना है जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर साइबर के स्टाफ साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर "जनचेतना अभियान" के तहत शिक्षण संस्थान, उद्योग, गांवों में अभियान चलाकर साइबर क्राईम के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 31.10.2023 को साइबर सेल रायगढ़ के स्टाफ द्वारा

पावर ग्रिड पटेलपाली में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पावर ग्रिड के अधिकारी व कर्मचारियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर साइबर से संबंधित होने वाली घटनाओं की जानकारी देकर सतर्क किया जा रहा है।

साइबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह ने वर्तमान में हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड और सेक्सटार्शन के संबंध में विस्तार में बताया गया। उन्होंने फाइनेंशियल फ्राड से बचने के लिए - अपना ओटीपी किसी से साझा ना करने, किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक करने से बचने, लुभावने ऑफर के लालच में ना आने, अपने निजी डिटेल अंजान एप्प लोड करने से बचने तथा फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर तत्काल बैंक/पुलिस में संपर्क करने कहा गया और यह भी बताया गया कि होल्ड किया गया रूपये उन्हें किस तरह प्राप्त होंगे। सेक्सटार्शन के संबंध में जानकारी देते हुये साइबर सेल स्टाफ ने बताया कि ये एक स्कैम का नया तरीका है जिसमे किसी अनजान नंबर से स्कैमर्स द्वारा वीडियो कॉल किया जाता है जिसमें एडिटिंग कर इसी वीडियो को वायरल कर देने की धमकी दे कर स्कैमर पैसे की डिमांड करते हैं। टीम ने छात्रों को सेक्सटार्शन से बचचे के उपाए बताये गये साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो अपलोड करते समय सावधानी बरतने कहा गया। जागरूकता कार्यक्रम में साइबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, रेणु सिंह शामिल रहे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.वी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा शैक्षणिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU